रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082025-265472
CG-DL-E-18082025-265472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 18, 2025/श्रावण 27, 1947
No. 513] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 2025/SHRAVANA 27, 1947

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 557(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (वेतन और लेखा अधिकारी तथा वरिष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सिविल लेखा सेवा के वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल लेखा सेवा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मेट्रिक्स में उनके स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -:**वह व्यक्ति-,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति :इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**
(1)	(2)	(3)	(4)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी।	1159* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, अनुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'क'	वेतन मैटिक्स में स्तर-10 (56100₹- 177500)

चयन या अचयन पद।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिआमेलन द्वारा तथा / विभिन्न पद्धतियों द्वाराभरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**
(9)	(10)	(11)
प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति :** सहायक लेखा अधिकारी जिन्होने वेतन मेट्रिक्स में स्तर-8 (₹47600- 151100) के श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स में

		स्तर-9 (₹53100-167800) के गैर कार्यात्मक श्रेणी में की गई सेवा भी है और जिन्होंने विभाग द्वारा विहित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **प्रतिनियुक्ति** : (क) केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में कार्यरत अधिकारी (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (₹53100-167800) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो: या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹47600 –151100) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की हो; और (ख)जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों, अर्थात्-: (i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उतीर्ण की हो; या (ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में रोकड और लेखा कार्य में प्रशिक्षण या समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो तथा किसी विभाग या संगठन के वित या लेखा प्रभाग के बजट कार्य में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. संयुक्त महालेखा नियंत्रक - सदस्य; 3. संयुक्त सचिव या निदेशक, व्यय विभाग - सदस्य। समूह 'क' **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)** जिसमें **निम्नलिखित** होंगे:- 1. अपर महालेखा नियंत्रक **- अध्यक्ष**; 2. संयुक्त महालेखा नियंत्रक **- सदस्य**; 3. मुख्य लेखा नियंत्रक **- सदस्य**; 4. मुख्य लेखा नियंत्रक **- सदस्य।**	प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक हैं।

[फा. सं. ई-865/ए-65061(55)/7/2020-समूह ख -सीजीए]

तृप्ति पात्रा घोष, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2025

G.S.R. 557(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Civil Accounts Service (Pay and Accounts Officer and Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Accounts Officer of the Central Civil Accounts Service, namely :-

1. Short title and Commencement. - (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service, Senior Accounts Officer Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person**, -**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

5. Power to relax. -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex- Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Senior Accounts Officer.	1159*(2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Ministerial, Gazetted, Group- 'A'.	Level -10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).

Whether selection or non selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection post.	Not applicable.	Not applicable.
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

Promotion:

Assistant Accounts Officer in level-8 (Rs.47600-151100) of pay matrix with seven years of regular service including service rendered in non-functional grade of level-9 (Rs.53100-167800) of pay matrix and having successfully completed mandatory training of two to four weeks as prescribed by the Department.

Deputation:

Officers working in the Central Government or State Government or Union Territory Administration :

(A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-9 (Rs. 53100-167800) of pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department ; or

(iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 (Rs.47600-151100) of pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and

(B) possessing the following qualification and experience, namely :-

(i) A pass in Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by the competent authority; or

(ii) successful completion of training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training course and a minimum of five years' experience in finance or budgeting of Accounts Division of any Department or organisation.

Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and

have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed qualifying or eligibility service.

Note 2. - The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3. - The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.
(12)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman ; 2. Joint Controller General of Accounts - Member; 3. Joint Secretary or Director, Department of Expenditure – Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Controller General of Accounts – Chairman ; 2. Joint Controller General of Accounts – Member ; 3. Chief Controller of Accounts – Member ; 4. Chief Controller of Accounts - Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion.

[F. No. E-865/A-65061(55)/7/2020-Group B-CGA]

TRIPTI PATRA GHOSH, Jt. Controller General of Accounts

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA